सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 537 राँची, बुधवार, 3 जुलाई, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

2 जुलाई, 2019

संख्या-5/आरोप-1-184/2017- 3137 (HRMS)-- श्रीमती नीतु कुमारी, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-रामगढ़), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के विरूद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4844, दिनांक 25.09.2017 के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-1654/गो०, दिनांक 30.08.2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-'क' में श्रीमती कुमारी के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है-

आरोप सं०-1. आरोपी श्रीमती नीतु कुमारी, अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को आवेदिका श्रीमती रूबीना परबीन, पति स्व० अख्तर जमाल, वार्ड नं०-1 चक्रधरपुर द्वारा दाखिल खारिज हेतु दिनांक 11.02.2015 को आवेदन अंचल कार्यालय, चक्रधरपुर में दिया गया। जिस पर लगभग 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः दिनांक 21.07.2015 को अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया, जो उपायुक्त महोदय को सम्बोधित आवेदन पत्र में उल्लेखित है। उपायुक्त, प० सिहभूम चाईबासा के पत्रांक-3096/गो० दिनांक 15.10.2015 द्वारा श्रीमती रूबीना परबीन द्वारा समर्पित शपथ पत्र की छायाप्रति एवं समर्पित ऑडियो कैसेट की एक प्रति संलग्न है, जिस पर 10,000/- रू० रिश्वत की माँग

की गई। इस संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक 1034/गो०, दिनांक 27.10.2015 द्वारा श्रीमती अनुराधा कुमारी कार्यपालक दण्डाधिकारी, पोड़ाहाट चक्रधरपुर से जाँच कराया गया। अंचल अधिकारी चक्रधरपुर के पत्रांक-1079/बी० दिनांक 08.10.2015 द्वारा उक्त आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण से मुक्त करने हेतु उपायुक्त महोदय को आवेदन समर्पित किया गया है। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर के कार्यालय पत्रांक- 1148/गो०, दिनांक 22.12.2015 के जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य में भी अंचल अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने में संलिप्तता का मामला प्रतीत है। अंचल अधिकारी चक्रधरपुर द्वारा दाखिल खारिज मामले में समय सीमा पर निष्पादन नहीं करने एवं रिश्वत की मांग में संलिप्त होकर आवेदक को परेशान करने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर उच्चाधिकारियों को दिगभ्रमित किया गया।

आरोप सं०-2. शिकायतकर्ता रूबीना परबीन, पति स्व० अख्तर जमाल, वार्ड नं०-1 चक्रधरपुर द्वारा उपायुक्त महोदय को सम्बोधित शिकायत पत्र में उल्लेखित किया गया है कि दिनांक 11.02.2015 को दाखिल खारिज हेतु अंचल कार्यालय, चक्रधरपुर में आवेदन दिया गया एवं जिसे 6 माह तक लंबित रखा गया एवं पुनः दिनांक 21.07.2015 को आवेदन अंचल कार्यालय, चक्रधरपुर में दिया गया। इस संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक- 1034/गो०, दिनांक 27.10.2015 द्वारा श्रीमती अनुराधा कुमारी कार्यपालक दण्डाधिकारी, पोड़ाहाट चक्रधरपुर से जाँच कराया गया। उक्त आरोप के संबंध में श्रीमती अनुराधा कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पोड़ाहाट चक्रधरपुर के पत्रांक-31/का०पा०दण्ड०, दिनांक 03.11.2015 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के कंडिका-1 के बारे में जाँच के क्रम में पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 11.02.2015 को जो आवेदन दिया गया वह किन कारणों से कार्यालय में लंबित रखा गया है, अंचल अधिकारी चक्रधरपुर द्वारा इसकी जाँच कार्यालय के प्रधान सहायक व सहायक लिपिक व हल्का कर्मचारी से स्पष्टीकरण की माँग की जाती ताकि यह स्पष्ट हो जाता कि वाकई में अंचल कार्यालय में आवेदिका रूबीना परबीन द्वारा आवेदन अंचल कार्यालय में दिया गया था या नहीं। अंचल अधिकारी चक्रधरपुर ने इस संबंध में आवेदिका रूबीना परबीन को भी सूचना निर्गत कर नामान्तरण वाद की प्राप्ति रसीद की माँग करके आश्वस्त होना चाहिए था कि आवेदन वाकई में दिनांक 11.02.2015 को दिया गया था अथवा नहीं। चूँकि इस संबंध में शिकायतकर्ता रूबीना परबीन द्वारा दिनांक 11.02.2015 को दाखिल खारिज अंचल कार्यालय में जमा किया गया है, के संबंध में प्राप्ति रसीद का उल्लेख नहीं किया गया है। जांच कंडिका-3 में उल्लेखित किया गया है कि अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को 6 माह पूर्व से कोई आवेदन लम्बित है या नही के संबंध में जाँच कर आश्वस्त हो लेना चाहिए था, परन्तु ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया है।

आरोप सं०-3. ईद-उल-जोहा (बकरीद) में विधि-व्यवस्था संधारण में लापरवाही बरतने के संबंध में आरोप। अनुमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट चक्रधरपुर के पत्रांक-930 दिनांक 25.09.2015 द्वारा दिनांक 25.09.2015 को ईद-उल-जोहा (बकरीद) में विधि-व्यवस्था संधारण में लापरवाही बरतने हेतु अंचल

अधिकारी, चक्रधरपुर से स्पष्टीकरण की माँग की गई है। इस संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक-1034/गो०, दिनांक 27.10.2015 द्वारा श्रीमती अनुराधा कुमारी कार्यपालक दण्डाधिकारी, पोड़ाहाट चक्रधरपुर से जाँच कराया गया। उक्त आरोप के संबंध में श्रीमती अनुराधा कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर के पत्रांक-31/का०पा०दण्डा०, दिनांक 03.11.2015 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के कंडिका-4 में स्पष्ट किया गया है कि अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का अपनी मोबाईल नेटवर्क समस्या होने के कारण वस्तुस्थिति की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी को नहीं दी गई। वैसी स्थिति में अंचल अधिकारी को अपने नेटवर्क क्षेत्र में आकर वस्तुस्थिति की सूचना दूरभाष पर देना चाहिए था अथवा थाना प्रभारी के माध्यम से सूचना भेजना चाहिए था। अंचल अधिकारी के द्वारा लिखित सूचना भी अनुमण्डल पदाधिकारी को नहीं दी गई है।

आरोप सं०-4. दिनांक 30.09.2015 को स्थानीय समाचार पत्र में पूर्व जिला परिषद् सदस्य श्री राम लाल मुण्डा एवं अन्य के द्वारा अंचल कार्यालय में प्रमाण पत्र बनाने में रूपये माँगने, बीच-बीच से प्रमाण निर्गत करने एवं अनावश्यक देरी करने के आलोक में अंचल कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया था एवं माननीय विधायक श्री शषि भूषण सामाड चक्रधरपुर विधानसभा के पत्रांक 344/15 दिनांक 28.09.2015 द्वारा भी जाति/आय एवं आवासीय एवं अन्य प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में शिकायत की गई। इस संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक-935/गो0 दिनांक 29.09.2015 द्वारा श्रीमती अनुराधा कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर से जाँच कराया गया। उक्त के आलोक में कार्यपालक दण्डाधिकारी, श्रीमती अनुराधा कुमारी के पत्रांक कैम्प-01, दिनांक 30.09.2015 द्वारा अंचल कार्यालय में प्रज्ञा केन्द्र से निर्गत करने वाले जाति/आवासीय/आय प्रमाण पत्र के संबंध में अंचल अधिकारी द्वारा कार्य में लापरवाही एवं कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है, जो जाँच प्रतिवेदन के कंडिका-1 से 9 तक में उल्लेखित है। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट के पत्रांक 1007/गो0, दिनांक 14.10.2015 द्वारा भी जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा प्रमाण पत्रों के ससमय निष्पादन करने हेतु राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 का पालन नहीं किया गया है।

आरोप सं०-5. नामान्तरण वाद संबंधी अभिलेख में निष्पादन में अनियमितता के संबंध में। इस संदर्भ में कार्यपालक दण्डाधिकारी, पोड़ाहाट चक्रधरपुर के पत्रांक-20/ का0पा0दण्डा0, दिनांक 03.10.2015 द्वारा दिनांक 30.09.2015 को अंचल कर्यालय चक्रधरपुर में दाखिल खारिज हेतु लंबित आवेदन अभिलेखों की जाँच किया गया, जिसमें माह अगस्त 2015 तक दाखिल खारिज हेतु कुल 46 अभिलेख लंबित पाया गया, जो जाँच प्रतिवेदन के कंडिका-1 से 6 तक एवं मंतव्य में उल्लेखित किया गया है। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर के पत्रांक-1007/गो0, दिनांक 14.10.2015 द्वारा भी जाँच प्रतिवेदन उपायुक्त महोदय को समर्पित किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा दाखिल खारिज हेतु अभिलेख सेवा अधिकार अधिनियम का पालन नहीं किया गया है एवं मामला लंबित रखा गया है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-12523, दिनांक-22.12.2017 द्वारा श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्रीमती कुमारी के पत्रांक-43, दिनांक 24.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती कुमारी के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1134, दिनांक-12.02.2018 द्वारा उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में जिला दण्डाधिकारी- सह-उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-774/गो0, दिनांक 13.04.2018 द्वारा द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्रीमती कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-909 (HRMS), दिनांक-03.07.2018 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-189, दिनांक-10.09.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपो हेतु श्रीमती कुमारी के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत् संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय विभागीय पत्रांक-9282, दिनांक 21.12.2018 द्वारा श्रीमती कुमारी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है। इसके अनुपालन में श्रीमती कुमारी के पत्रांक-20, दिनांक 27.01.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है।

श्रीमती कुमारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं०-1507, दिनांक 28.03.2019 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड इन पर अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्रीमती कुमारी द्वारा माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1046, दिनांक 30.04.2019 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि इनके द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है बल्कि वही बातें दोहरायी गई है, जो पूर्व में इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं द्वितीय कारण पृच्छा में उल्लेखित किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती नीतु कुमारी, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NITU KUMARI 110033265458	श्रीमती नीतु कुमारी, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 537 -- 50